वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 71/2025 *दिनांक- 25.02.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-25.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-रानी की सराय:- छेडखानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.10.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 23.10.2024 समय लगभग 05.00 बजे शाम को वादिनी की नाबालिक पुत्री जो घर से बाहर की ओर गयी थी, के साथ अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ पिक्चर पुत्र इन्द्रजीत उर्फ झुराली निवासी मझगांवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा सूनसान रास्ते में अश्लील भाषा का प्रयोग करने तथा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा उसका हाँथ पकड़कर दुपट्टा खींचते हुए छेड़खानी करने लगा जिसका विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 323/24 धारा 76/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.02.2025 को उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ पिक्चर पुत्र इन्द्रजीत उर्फ झुराली निवासी मझगांवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मझगांवा पुलिया के पास से समय करीब 8.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सोनू कुमार उर्फ पिक्चर पुत्र इन्द्रजीत उर्फ झुराली निवासी मझगांवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 323/2024 धारा 76,115(2),352,351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

02.थाना-दीदारगंज:- दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.02.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की भतीजी को दिनांक 07.02.2025 को सुबह 4.30 बजे अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र स्व0 अनिल यादव ग्राम पाईन्दापुर थाना दीदारगंज आजमगढ बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 23/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.02.2025 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र स्व0 अनिल यादव ग्राम पाईन्दापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष को पल्थी बाजार से समय करीब 9.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सौरभ यादव पुत्र स्व0 अनिल यादव ग्राम पाईन्दापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0स0 23/25 धारा 87,137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पास्को एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

03.थाना-बरदहः-गोकशी करने वाले 05 अभियुक्त 03 अदद पिकप वाहन, 03 नफर प्रतिबंधित पशु व 02 अदद दाव के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

आज दिनांक 25.02.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित आकर एक किता फर्द बरामदगी 03 अदद चार पहिया वाहन, 03 नफर प्रतिबंधित पशु, 02 अदद दाव व गिरफ्तारशुदा 05 नफर अभियुक्त दाखिल किये। दाखिल फर्द व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 बनाम 1. संजय राय पुत्र शीतला राय ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. पंकज राय S/O दूर्गा प्रसाद राय ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. फहीम पुत्र समीम ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ 4. फुरकान पुत्र शकील अहमद ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ व 5. बुद्धू पुत्री महंगी नोना 32 वर्ष ग्राम बक्थरी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 25.02.25 को समय 04.00 बजे उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव व उ0नि0 महेन्द्र सिंह यादव मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली प्राथमिक पाठशाला पिछौरा में कुछ लोगो द्वारा छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को पिकप पर लादा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके जरिये दूरभाष मुझ उ0नि0 द्वारा रात्रि गश्त में भ्रमणशील उ0नि0 उमाशंकर सिंह थाना बरदह, आजमगढ़, उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़, उ0नि0 मनोज यादव थाना बरदह आजमगढ़ को सूचना से अवगत कराकर बुलाया गया। जहां प्राथमिक पाठशाला पिछौरा पर पहुँचकर 1. संजय राय पुत्र शीतला राय ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. पंकज राय S/O दूर्गा प्रसाद राय ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. फहीम पुत्र समीम ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ 4. फुरकान पुत्र शकील अहमद ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ व 5. बुद्धू पुत्री महंगी नोना 32 वर्ष ग्राम बक्थरी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद चार पहिया वाहन, 03 नफर प्रतिबंधित पशु व 02 अदद दाव बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

1. तीन अदद चार पहिया वाहन नं0 UP62DT2466, UP50DT2087 व UP50ET6862
2. तीन अदद प्रतिबंधित पशु (मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0)
3. दो अदद दाव

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि संजय राय, फहीम, फुरकान व बुद्धू मिलकर गाड़ी नं0 UP50DT2087 में दिनांक 01.09.24 को बेलवाना में रात्रि में 10.00 बजे के लगभग रोड़ पर घुम रहे प्रतिबंधित पशुओं को लाद रहे थे कि लोग आ गये थे, जिनपर हमलोग पथराव करते हुए भाग गये थे तथा अभियुक्तों से और कडाई से पूँछताछ करने पर अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.01.25 की रात को गोठांव गाव के सिवान से संजय राय, फहीम, फुरकान, बुद्धू मिलकर कुल तीन घुमने वाले प्रतिबंधित पशु को पकड़कर रात में ही गेहू के खेत में गोकशी किये जिनका सिर वहीं खेत में ही छोड़कर शेष भाग को हम सभी मिलकर संजय राय की पिकप गाड़ी सं0 UP50BT2087 में लादकर बाहर बेच दिये थे तथा उससे मिले रुपये आपस में बाट लिये थे।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

संजय राय पुत्र सीतला राय ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 286/24 धारा 3(5)/125/324(4) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौ0नि0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

पंकज राय S/O दुर्गा प्रसाद राय ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 272/06 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

फहीम पुत्र समीम ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 286/24 धारा 3(5)/125/324(4) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौ0नि0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

फुरकान पुत्र शकील अहमद ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 286/24 धारा 3(5)/125/324(4) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौ0नि0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

बुद्धू पुत्री महंगी नोना 32 वर्ष ग्राम बक्थरी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

1. मु0अ0सं0 286/24 धारा 3(5)/125/324(4) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौ0नि0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 52/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
3. उ0नि0 उमाशंकर सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
4. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़
5. उ0नि0 मनोज यादव थाना बरदह, आजमगढ़

04.थाना-कन्धरापुरः- बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.02.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित प्रा0पत्र दिया गया कि वादी की लड़की को अभियुक्त अंकुर चौहान पुत्र रामकुमार चौहान ग्राम जिगिना करमनपुर पो0 तेरही कप्तानगंज थाना तबहरपुर जनपद आजमगढ के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/24 धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 25.02.2025 को उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंकुर चौहान पुत्र रामकुमार चौहान ग्राम जिगिना करमनपुर पो0 तेरही कप्तानगंज थाना तबहरपुर जनपद आजमगढ को मन्दुरी तिराहे से समय करीब 12.12 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05.थाना-मेंहनगरः- गोकशी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 22.02.2025 को वादी महेन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 गुलाब चन्द मौर्य वार्ड नं0 12 लाजपतनगर कस्बा व थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त कफिल अहमद पुत्र स्व0 इरफान अहमद वार्ड नं0 11 हजरत नगर कस्बा व थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ का निवासी है के द्वारा मेंहनगर कस्बा में गोकशी किया जाता है। यह गोलबन्द किस्म का व्यक्ति है, इसके गोकशी की सूचना हमको बराबर मिलती रहती है तथा इसके विरूद्ध थाना स्थानीय पर पहले भी कई मुकदमें दर्ज हैं । लिखित तहरीर व साक्ष्य के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध नि0अधि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 25.02.25 को उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कफिल अहमद s/o स्व0 इरफान अहमद वार्ड नं0 11 हजरत नगर कस्बा व थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. कफिल अहमद पुत्र स्व0 इरफान अहमद वार्ड नं0 11 हजरत नगर कस्बा व थाना मेहनगर जिला आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध नि0अधि0 थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 10/2019 धारा 323/498ए भादवि थाना महिला थाना जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 219/2021 धारा 323/354ख/406/504/506 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 408/2024 धारा 299 BNS & 66 IT ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध नि0अधि0 थाना मेंहनगर आजमगढ़

06.थाना-देवगाँव:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:-

गैंग लीडर रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सा0 मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ व गिरोह के सदस्य अभियुक्त इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबिन सा0 वार्ड न0- 15 चिकयाना गोला लालगंज थाना कस्वा लालगंज थाना-देवगाँव आजमगढ का एक नाजायज संगठित गिरोह होने व इसके नाजायज गिरोह के सक्रिय सदस्य के साथ अपने स्वयं व गिरोह के सदस्य के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु चोरी ,नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। जिसके अपराध पर रोक लगाने हेतु श्रीमान् जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय के अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 2(ख)1 व 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सा0 मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ 2. इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबिन निवासी वार्ड न0 15 चिकयाना गोला लालगंज थाना कस्बा लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.02.2025 को उ0नि0 अमित त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ को कैथीशंकरपुर पुल के नीचे बाबा किनाराम आश्रम के पास से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:- 01. मु0अ0सं0 74/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

बरामदगी का विवरण:-01.एक अदद तमन्चा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास:-

रविप्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	22/23	457/380/382/411/413 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
2	32/23	457,380,382,411,413, भा.द.वि. 4/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
3	33/23	457,380,382,411,413,34 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
4	68/23	457,380,382,411,413,34 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
5	71/23	457,380,382,411,413,34 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
6	108/23	4/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
7	298/22	224 भादवि	कोतवाली	आजमगढ
8	162/24	380 /411/413 भादवि	देवगांव	आजमगढ
9	170/24	380 /411/413 भादवि	देवगांव	आजमगढ
10	192/24	380 /411/413 भादवि	देवगांव	आजमगढ
11	196/21	60 आबकारी अधि0	देवगाँव	आजमगढ
12	224/22	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
13	444/23	3(1) यू.पी गैंगस्टर एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
14	67/2025	3(1), 2(ख)1 यू.पी गैंगस्टर एक्ट	देवगाँव	आजमगढ
15	74/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा किया गया थाना तरवां का वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक 25.02.2025 को ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना*** द्वारा ***थाना तरवां*** का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ***सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लालगंज शुभम अग्रवाल व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण*** मौजूद रहे। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

➡थानाध्यक्ष तरवां द्वारा सलामी गार्द की कमाण्ड उच्च कोटि की पायी गयी।

➡थाना कार्यालय में अभिलेखो का अवलोकन किया गया, अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡हिस्ट्रीशीटरों की निरन्तर निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡शस्त्र चालन के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों की जानकारी लिया गया तथा इनको बार-बार अभ्यास की आवश्यकता कराये जाने की बात कही।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई संतोष जनक पायी गयी।

➡थानाध्यक्ष तरवां को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था,यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाये रखने हेतु कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत किये जाने वाले कार्य आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में बेहतर तालमेल रखा जाय।

➡थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡ थाना प्रांगण में आये फरियादियो से वार्ता कर उनकी समस्याओ को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

➡ एआरटीओ के द्वारा चालानी वाहनों के सम्बन्ध में नियमानुसार पत्राचार कर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

➡अवैध शराब एवं मादक पदार्थ किसी भी दशा में बिक्री नही होने पाये, अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

➡ यातायात में जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया

➡आगामी त्यौहारों पर शान्ति व्यवस्था हेतु नियमित रूप से पैदल गस्त करने व वाहन चेकिंग करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया।

➡गली, मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

➡ आगामी त्योहार महाशिवरात्रि, होली एवं रमजान के दृष्टिगत थाना स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों व चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गई तथा उनकी समस्याओं को सुना गया व सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।